

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

आ० सं०-०७/स्था००-०१-२०/२०१४ (खंड)

पटना, दिनांक-

श्री सरोज कुमार सिंह, प्रवर्तन अवर निरीक्षक को विभागीय कार्यालय आदेश सं०-४२२४ दिनांक-०६.०७.२०१६ द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया था। प्रपत्र 'क' में आरोप गठन करने हेतु साक्ष्यों का संकलन किया जाना था। साक्ष्य संकलन के पश्चात् आरोप का गठन किया जा रहा है।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम-९(७) के आलोक में श्री सरोज कुमार सिंह, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के निलंबन अवधि को अगले चार माह के लिए नवीकृत किया जाता है।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

५

पटना, दिनांक- २१/११/१७

प्रतिलिपि- मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/नाननीय मंत्रों, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा/स्थापना शाखा/रक्षित पंजी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/श्री सरोज कुमार सिंह, प्रवर्तन अवर निरीक्षक (संप्रति निलंबित), पुत्र -- स्व० राजकिशोर सिंह, एम० बी० कॉलेज के सामने, चरित्रवन, बक्सर, पिन-८०२१०१, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

E-mail

बंधित

राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।